

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
मधुबनी।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, झंझारपुर।

विषय:- ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं०-09/2017-18 के ग्रुप सं०-43 के कार्य नगर पंचायत, झंझारपुर अन्तर्गत वार्ड सं०-03 में ब्रह्म स्थान से प्राथमिक विद्यालय के आगे तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य के आवंटन के संबंध में।
प्रसंग:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झंझारपुर का पत्रांक-895 दिनांक-26.09.2018 एवं विभागीय पत्रांक-1146 दिनांक-12.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-1146 दिनांक-12.09.2018 के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झंझारपुर द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

तदनुसार विषयांकित कार्य की तुलनात्मक विवरणी एवं प्राप्त निविदाकारों के डाउनलोडेड निविदा कागजात के समीक्षोपरान्त मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् है:-

ग्रुप सं०	कार्य का नाम	मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों को पालन करने के कारण)	अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना का अनुपालन करने के कारण)
43.	नगर पंचायत, झंझारपुर अन्तर्गत ब्रह्म स्थान से प्राथमिक विद्यालय के आगे तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	(1) श्री राम कुमार मंडल उद्धृत दर:- परिमाण विपत्र की राशि से 0.01% कम दर पर। (2) श्री मदन मोहन झा उद्धृत दर:- परिमाण विपत्र की राशि से 0.05% कम दर पर।	NIL

उक्त मान्य दोनों निविदाकारों में से न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले निविदाकार श्री मदन मोहन झा को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि 25,26,923/- (पच्चीस लाख छब्बीस हजार नौ सौ तैइस) रुपये मात्र से 0.05% कम दर पर अर्थात् राशि 25,25,660/- (पच्चीस लाख पच्चीस हजार छः सौ साठ) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता, डुडा, मधुबनी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झंझारपुर सभी कागजात का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

एकरारनामा के पूर्व उक्त कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित दरों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे, क्योंकि परिमाण विपत्र का अनुमोदन कार्यपालक अभियंता, डुडा, डुडा, मधुबनी के स्तर से हुआ है।

निम्न निदेशों को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 02 (दो) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।
9. प्रारम्भ बिन्दु से निकासी बिन्दु तक नाला का Slope निर्धारित करते हुए निर्माण करायेंगे ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
10. RCC कार्य में लगाने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।
11. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
12. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
13. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रतर कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है।
कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु०:- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 11 न०वि० अभि० (को०) 51/2018 1269

पटना, दिनांक- 02/10/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।